



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127621

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19330/2026**

राजू सेठ

आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : शत्रुघन जी पाण्डेय, विनय कुमार सिंह

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

**न्यायालय संख्या - 45**

**माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी गई।
2. यह जमानत याचिका आवेदक को थाना ज्ञानपुर, जिला संत रविदासनगर (भदोही) में मामला अपराध संख्या 222/2025, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस के तहत जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। आवेदक एक स्वर्ण मूल्यांकक है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में अन्य सह-आरोपी राजेंद्र गौतम के साथ उसका नाम नहीं है। यह अपराध मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा विचारणीय है। इस मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी राजेंद्र गौतम को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 27.5.2026 को आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या 5222/2026 में पारित आदेश के माध्यम से अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जमानत याचिका के पैराग्राफ

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 23 में आपराधिक पृष्ठभूमि का अच्छी तरह से वर्णन किया गया है और वह 26.4.2026 से जेल में हैं।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी, राजेंद्र गौतम को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा अग्रिम जमानत दी जा चुकी है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों का अध्ययन किया है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी राजेंद्र गौतम को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा अग्रिम जमानत दी जा चुकी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आदेश को रद्द या स्थगित नहीं किया गया है, और आवेदक 26.4.2026 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

7. जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

8. उपर्युक्त मामले में शामिल आवेदक **राजू सेठ** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के निजी मुचलके और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भा.द.सं./ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 द.प्र.सं./ 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भा.द.सं./ 209 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष उन तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा जो (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 द.प्र.सं. के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित की गई हैं। यदि निचली अदालत की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही करना खुला रहेगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।